

प्रथम संशोधन

उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या 1212/उ0आ0वि0/अधि0/2017-18 के माध्यम से एसोसियेट प्रोफेसर पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की (स्कूटनी/ शॉर्टलिस्टिंग) के उपरान्त अर्ह/अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय वेबसाईट में दिनांक 07.02.2018 को अपलोड कर निर्गत की गई थी।

तत्क्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त पूर्व निर्गत अर्ह/अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं :-

1. क्रिया शारीर विभाग हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की सूची में क्रमांक-9 पर डॉ0 विनय भारद्वाज का नाम अंकित किया गया था। पुनः परीक्षणोंपरान्त पाया कि संबंधित आवेदनकर्ता विज्ञप्ति प्रकाशन के समय निर्धारित कार्यानुभव नहीं रखते थे। अतः संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन **निरस्त (Reject)** करते हुए उक्त अर्ह सूची से इनका नाम निरसित (Delete) समझा जाए।
2. डॉ0 मीनाक्षी चौबे सुपुत्री श्री श्रीकान्त तिवारी, निवासी बंगला नं0 138, उत्तर-पूर्वी रेलवे आफिसर्स कालोनी, लहरतारा, वाराणसी, उ0प्र0 द्वारा स्त्री एवं प्रसूति तंत्र विभाग में एसोसियेट प्रोफेसर के पदों के सापेक्ष आवेदन किया गया था। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के बाहरी लिफाफे में आवेदित पद के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं करने के कारण त्रुटिवश संबंधित फार्म अन्य पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में सम्मिलित हो गया। अतएव विश्वविद्यालय स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त इस त्रुटि में सुधार करते हुए एसोसियेट प्रोफेसर (स्त्री एवं प्रसूति तंत्र विभाग) में अर्ह अभ्यर्थियों की सूची में क्र0सं0-13 के पश्चात क्र0सं0-14 पर डॉ0 मीनाक्षी चौबे **जोड़ा (Add)** जाता है।
3. रश शास्त्र विभाग में अर्ह अभ्यर्थियों की सूची में क्र0सं0-26 पर अंकित डॉ0 श्रुति कुमार का नाम **डॉ0 श्रुति खण्डूरी** पढ़ा जाए।
4. पंचकर्म विभाग में अर्ह अभ्यर्थियों की सूची में क्र0सं0-6 पर अंकित Dr. Praveen Kumar का नाम Dr. Parveen Kumar पढ़ा जाए।


कुलसचिव